राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांकः एफ.53(   )निगरानी/डीएलबी/20/ 1648   जयपुर, दिनांकः 23/10/2020.

आदेश

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 194 (12) के अन्तर्गत अपील एवं धारा 327 के अन्तर्गत निगरानी में अपीलीय प्राधिकारी द्वारा आदेश पारित किये जाते है, जिनमे समयबद्व पालना के भी निर्देश होते है, लेकिन ऐसे आदेशो की पालना नगरीय निकायो द्वारा की जा रही है अथवा नही, इसकी मोनिटरिंग की व्यवस्था नही है। इस कारण ऐसे आदेशो की पालना सुनिश्चित कराने का एक इजराय रजिस्टर तुरन्त संधारित किया जावे तथा इसे संधारित एवं अद्यतन रखने के कार्य के मोनिटरिंग के लिए सहायक निदेशक (सर्तकता) को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जाता है। उक्त इजराय रजिस्टर का निरीक्षण नियमित रूप से किया जावे, और न्यायिक आदेश की पालना रिपोर्ट प्राप्त नही होने की स्थिति में संबंधित अधिकारियो का स्पष्टीकरण लेवे एवं उनके विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्ताव भी प्रस्तुत किये जावे। प्रभारी अधिकारी इस कार्य की प्रगति, पाक्षिक रूप से अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करेगें।

निगरानी/अपील में पारित निर्णय की पालना संबंधित नगरीय निकाय द्वारा निर्धारित अवधि में की जाकर पालना रिपोर्ट प्रभारी अधिकारी को, पाक्षिक प्रेषित करना निकाय द्वारा सुनिश्चित किया जावे।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित हैं।

(दीपक नन्दी)
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

क्रमांक/F53( ) नि/DLB/ 20/1649-1656 दिनांक 23/10/2020.

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न को प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वा0शा0 विभाग राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, स्वा0शा0 विभाग राज. जयपुर।
3. अतिरिक्त निदेशक, निदेशालय।
4. सहायक निदेशक (सर्तकता) प्रभारी अधिकारी, निदेशालय।
5. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर/अजमेर/जोधपुर/बीकानेर/कोटा/उदयपुर/भरतपुर को आदेशित किया जाता है कि आपके क्षेत्राधिकार की नगरीय निकायो के आदेशो के विरूद्व राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 194 (12) में प्रस्तुत अपीलो में पारित निर्णयो की पालना सुनिश्चित करने के लिए उपरोक्त आदेश अनुसार आपके स्तर पर इजराय रजिस्टर संधारित एवं अद्यतन किया जावे। निदेशालय के प्रभारी अधिकारी को पाक्षिक प्रगति रिपोर्ट भेजी जावे।
6. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिकाऐ समस्त राजस्थान को प्रति भेजकर लेख है कि उपरोक्त आदेश की पालना सुनिश्चित की जावे तथा पाक्षिक प्रगति रिपोर्ट निदेशालय के प्रभारी अधिकारी को भेजी जावे।
7. रीडर, निगरानी शाखा को पालनार्थ।
8. सुरक्षित पत्रावली।

निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

D/Ali latter/Madan ji